अध्याय 8

साझेदारी खाते

[ PARTNERSHIP ACCOUNTS ]

यूनिट 1: साझेदारी खातों का परिचय

[ Introduction to Partnership Accounts ]

सीखने के परिणाम (Learning Outcomes)

इस यूनिट के अध्ययन के पश्चात आप निम्न में समर्थ हो जायेंगे—

♦ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 तथा सीमित दक्षिण साझेदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों को समझना।
♦ साझेदारी फर्म के लक्षणों को समझना तथा साझेदारी संबंधों की आवश्यकता को समझना।
♦ खातों के सम्बन्ध में साझेदारी संबंधों के अन्तर्गत आने वाली बातों को जानना।
♦ लाभ हानि नियोजन खाता बनाने की तकनीक को समझना।
♦ साझेदारों के पूंजी खातों की दोनों विधियों से परिचित होना तथा स्थिर पूंजी विधि तथा परिवर्तनीय पूंजी विधि।
♦ नोट करें कि परिवर्तनीय पूंजी विधि के अनुसार, पूंजी खाते का शेष रूप स्थिर पूंजी विधि के अनुसार पूंजी खाते तथा चालू खाते के रूप के एकदम बराबर होता है।
♦ सीखना कि कैसे सही शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाये जिसे लाभ हानि नियोजन खाते में ले जाय जाये अशुद्धियों के प्रभाव पर नियांकन। अशुद्धि शोधन आवश्यक हो सकता है। साझेदारों के शुद्ध लाभों तक पहुंचने के लिए तथा लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए।
♦ सीखना कि लाभ हानि नियोजन खातों में पूंजी तथा आहरण पर व्याज वेतन/कमीशन को दिखाया जाना होता है तथा लाभ हानि खातों में नहीं। साथ ही सीखना कि साझेदारों द्वारा आहरण नियोजन खाते में नहीं दिखाये जायेंगे।
1.1 परिचय (Introduction : Why Partnership ?)

एक व्यक्ति अथवा एकल व्यापारी इस स्थिति में नहीं हो सकता है रोजगार के व्यवसाय जगत की वित्तीय तथा प्रबन्धनशील मांगों को पूरा कर सके। फलस्वरूप दो या अधिक व्यक्ति निर्णय लें सकते हैं कि अपने वित्तीय तथा अवधीय संसाधनों को एकजुट करें ताकि एक व्यवसाय चलाया जा सके। एकल स्वामित्व के अतिम खातों के रचना को अध्याय 6 में पहले ही समझा जा चुका है। एक साझेदार के प्रवेश हेतु मूल अवधारणाओं, साझेदार के अवकाश-प्राप्ति तथा मृत्यु के लिए लेखांकन के विचारों संबंधी साझेदार में साझेदार फर्म के अतिम खाता का इस अध्याय का आगे का गूँजा में समझा गया है।
1.2 **साझेदारी की परिभाषा तथा लक्षण (Definition and Features of Partnership)**

साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार—

“साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध है जो एक व्यवसाय के लाभों को बॉर्टने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा सभी के लिए चलाया जाये。”

**साझेदारी के लक्षण (Features of Partnership)**

(i) **एक ठहराव की विद्यमानता (Existence of an agreement)**: भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 5 के अनुसार साझेदारी का सम्बन्ध पक्षकारों के बीच अनुबंध से उत्पन्न होता है, न कि स्तर (Status) से, जैसकि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की दशा में होता है। एक औपचारिक या लिखित ठहराव साझेदारी बनाने के लिए आवश्यक नहीं है।

(ii) **व्यवसाय (Business)**: साझेदारी केवल व्यवसाय में विक्रय रह सकती है। अतः यह अंकला ठहराव नहीं होता जो साझेदारी का निर्माण करता है। साझेदारी केवल तभी अंतिम में आती है जब साझेदार अपने ठहराव के अनुसार व्यवसाय चलाना शुरू करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 2(b) केवल यहां बताती है कि व्यवसाय प्रत्येक व्यापार, पेशे या धारे का समावेश करता है।

(iii) **लाभ का विभाजन (Sharing of Profit)**: समविभाजित व्यक्तियों को व्यवसाय के लाभों का विभाजन करने के लिए लाभ होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति साझेदार नहीं बना जाता जब उसके व्यवसाय के लाभों में भाग पाना का अधिकार न हो। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 हानियों के विभाजन पर जोर नहीं देता। अतः हानियों के विभाजन का प्राध्यापन आवश्यक नहीं है।

(iv) **पारंपरिक एजेंसी (Mutual Agency)**: इसका अर्थ है कि व्यवसाय को उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा सभी के लिए चलाया जायेगा। अतः यदि व्यवसाय चला रहा व्यक्ति न केवल अपने लिए काम करता है बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है ताकि वे मलकानी तथा एजेंसी की स्थितियों में हो जाते हैं, साझेदार होने के साथ-साथ।

**व्यक्तियों की संख्या : नूनतम साझेदार-2**

**अधिकतम संख्या (Maximum Partners)**: कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 464 कोई भी संघ या साझेदार जिसमें 100 या इससे अधिक व्यक्ति हों, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए नहीं बनाई जा सकती। Companies (Incorporation) Rules, 2014 को Rule 10 निर्देश करता है सीमा को 50 के रूप में। अतः एक साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिम संख्या 50 है।

1.3 **सीमित लाभार्थी साझेदारी (Limited Liability Partnership)**

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 साझेदारी के सामान्य स्वरूप की व्यवस्था करता है जो भारत में संवैधानिक प्रतिलोम स्वरूप है लेकिन समय के साथ साझेदारी के सामान्य स्वरूप ने अपना महत्व खो दिया है क्योंकि इसमें अंकं अतान्तिकता है, जबसे महत्वपूर्ण कमी है व्यवसायिक और तथा वैश्विक दृष्टिकोणों में हूँ भी साझेदारों का असीमित दायित्व, उनकी धारिता को देखे बिखे, क्योंकि फर्म एक वैश्विक सत्य नहीं होती। साझेदारी यह साझेदारों के गठन काम के लिए भी संयुक्त रूप से भी तथा व्यक्तिगत रूप से दासी होते हैं। प्रत्येक साझेदार की व्यक्तिगत समस्तियां भी साझेदारी के दायित्वों को पूरा
करने के लिए काम ला जा सकती है।

भारतीय अधिनियमों में हमारे जायके में साथ-साथ, उसके उपक्रमों द्वारा निभायी गई भूमिका तथा साथ उसकी तकनीकी तथा नीतिक प्रभाव अनुप्रा का भी भूमिका अधिकतम की होती है। इस पृथ्वी में एक नया कार्यस्थल स्वरूप को आवश्यक अनुप्रा का गई जो एक तफ सीमित व्यक्तिगत दायित्व के साथ तथा दुसरों और सीमित दायित्व कंपनी की व्यापारिक नियमांक संरचना के साथ-साथ परिसंचालन साझेदारी का विक्रय प्राप्त कर लेते हैं तथा साहसिक पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक लंघन, अंग्रेजीकरण तथा प्रभावी तरीकों से एकजुट किया जा सकता, संगठित किया जा सकता तथा परिवर्तन किया जा सकता।

सरकार ने अनुच्छेद किया कि भारतीय वेतन क्षेत्र अंतर्द्वीपीय लेनदेनों में बहुस्तरीय लेनदेनों में बहुस्तरीय नियमों का प्रतिरूप करते हुए बड़ी मात्रा में लेन-देन कर रहा है जिससे दायित्व का मात्रा निरक्षर ही बढ़ गया होगा। अत: भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जिससे संस्कृति और अंतर्द्वीपीय व्यवसाय संगठन में भारतीय दायित्व के डर से निपटने हेतु काम कर सके, सीमित दायित्व साझेदारी जैसे व्यवसायिक संरचना को आवश्यकता को बजाए मिलता।

सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) को एक वैकल्पिक कॉरपोरेट व्यवसाय प्रसार के रूप में देखा जा सकता है जो सीमित दायित्व के लाभ प्रदान करता है लेकिन अपने सदस्यों के परस्पर सहमति उठाने के आधार पर साझेदारी के रूप में उनकी आर्थिक संरचना के गठन को लोभ के प्रदान करता है।

सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) एक पृथक व्यापारिक संस्था होगी, अपनी संबंधित की पूर्ण मात्रा तक होगी, जिसमें साझेदारों का दायित्व साझेदारी में उनके सहमति अंतर्द्वीपीय तक सीमित होगा जो दूर्योग या अदृश्य क्रूर्ति का हो सकता है या उन दोनों के व्यक्तिगत का। कई भी साझेदार अपने साझेदारों के अनाधिकृत कार्यों या उनके दुरुस्तियाँ के आधार पर स्वतंत्र तौर पर दायी नहीं दर्शाया जा सकेगा। सीमित दायित्व साझेदारी तथा ऐसे साझेदारों के दायित्व विनियमों लेनदेनों के ध्वस्क देने के रूप से या किसी क्रयपूर्ण उद्देश्य के लिए काम करते हुए पाया गया है। ऐसे साझेदारों के सभी या किसी सुन्दर या अन्य दायित्वों के लिए सीमित रूप से दायी होगा।

एक सीमित दायित्व साझेदारी का पुरा लाभ होता है कि इस पर एक साझेदारों के रूप में कर लगाता है जबकि लाभ कंपनी के फिरते हैं तथा अधिकारी भी बड़ी बढ़ जाती है कि यह सीमित दायित्व वाली एक व्यापारिक संस्था है। एक सीमित दायित्व साझेदारी का विषय लक्षण होता है कि इसका अपने साझेदारों से अलग एक पृथक कार्यान्वयन व्यथित होता है। यह प्रकृति में एक निम्नांश संस्था होता है भारत में सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 द्वारा शुरू को गई जो सीमित दायित्व साझेदारी बनाने तथा चलाने की व्यवस्था करता है।

1.3.1 सीमित दायित्व साझेदारी की परिभाषा (Definition of LLP)

सीमित दायित्व साझेदारी (LLPs) अधिनियम, 2008 की भाषा 2 परिभाषा देती है: सीमित दायित्व साझेदारी इस अधिनियम के अनुसार, सीमित तथा पृष्ठभूमि एक साझेदारों तथा “सीमित दायित्व साझेदारी उद्देश्य” अनुसार सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के बीच वा सीमित दायित्व साझेदारियों तथा उनके साझेदारों के बीच कोई लिखित उभरता हो साझेदारों के परस्पर अधिकारों तथा

1.3.2 भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 का लागू न होना (Non-applicability of the Indian Partnership Act, 1932)

अन्यथा प्रावधानों को छोड़ते हुए, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधान सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में लागू नहीं होगा।

1.3.3 सीमित दायित्व साझेदारी की तकनीक वा साझेदारों की न्यूनतम संख्या (Minimum Numbers of Partners in case of LLP)

© The Institute of Chartered Accountants of India